Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

फा.सं.सी-14/2013-एमपीलैड्स

Dated 17.10.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: बार संघों को सहायता ।

महोदय,

एमपीलैड्स के दिशानिर्देशों के पैरा 3.38 को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

"3.38 **बार संघों को सहायता** - सांसद तहसील/उप-मंडल/जिला स्तर पर बार संघ के भवन-निर्माण के प्रयोजनार्थ बार संघों के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए भूमि केन्द्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा संबंधित अदालत परिसर के भीतर आने वाले बार संघ की हो तथा यह एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के प्रावधानों के अध्यधीन हो । बार संघ के किसी आवर्ती व्यय के लिए कोई एमपीलैड्स निधि अनुमत्य नहीं होगी ।

2. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि पैरा 3.38 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके संकेत से यह अर्थ निकाला जाए कि बार संघ के भवन निर्माण के लिए भूमि का पता लगाने अथवा उपलब्ध कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट /जिला प्राधिकारी उत्तरदायी अथवा बाध्य है ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।